रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-15032023-244415
CG-HR-E-15032023-244415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
No. 153]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023

सा.का.नि. 192(अ).—वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2023 जिनको केंद्रीय सरकार 1986 तक यथासंशोधित कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1955 के मूल नियम और वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिस से भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना निहित है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ।

2. सभी आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहता है, वह अपना सुझाव ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय,सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकता है, जो इन सुझावों को केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ भेजेंगे ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 10 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापन किए जाएंगे:-

10(ए) वनस्पति तेल के घरेलू व्यापार में धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से सम्बंधित प्रतिबंधो तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं अथवा घरेलू व्यापर के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन अधिसूचित किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन किया जाएगा।

10 (बी) वनस्पति तेल के निर्यात में कोडेक्स एलिमेन्टेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं, कीटनाशको की अवशिष्ट सीमाओं और अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

3. नियम 11 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

12. वनस्पति तेलों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थो का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 में निर्धारित पोषक तत्वों के स्तर के अनुसार सूक्ष्मपोषक तत्व विटामिन ए और विटामिन डी से समृद्ध (फोर्टिफाइड) किया जा सकता है।

13. वनस्पति तेल में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संकेंद्रण में अनुमेय एंटी-ओक्सीडेंट्स और खाद्य योजक हो सकते हैं।

14. इन नियमों के तहत सम्मिलित वनस्पति तेल, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य), विनियम 2011 के अनुसार तेलों की फैटी एसिड संरचना का अनुपालन करेंगे।

4. मूल नियम में सरसों के तेल की अनुसूची-I को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" सरसों तेल का श्रेणी अभिधान एवं गुणवत्ता”

1. सरसों का तेल ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस लिन (पीली और भूरी सरसों) या ब्रैसिका जुनेशिया लिन (लाही, राई या लाहा) या ब्रैसिका नैपस (रेपसीड या तोरिया) के स्वच्छ और ठोस बीजों या इन बीजों के मिश्रण से निष्कर्षण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाएगा। निष्कासन दवाब विधि द्वारा प्राप्त तेल, विलायक निष्कर्षित तेलों और हेक्सेन अवशेषों से मुक्त होगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं: (1) सरसों के तेल में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी -

(क) विशिष्ट और स्वीकार्य स्वाद एवं गंध होगा;

(ख) जब फ़िल्टर किए गए तेल का नमूना 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 24 घंटे के लिए रखा जाता है तो यह साफ और गंदलापन से मुक्त होगा;

(ग) बासीपन, दुर्गंध, निलंबित अथवा अघुलनशील पदार्थ अथवा अन्य किसी विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(घ) पृथक्कृत जल; तलछट जमाव, योजित रंजक पदार्थ और किसी भी तरह के अन्य गंधयुक्त पदार्थ से मुक्त होगा;

(ङ) सिंथेटिक तेल से मुक्त होगा ।

(2) सरसों तेल यदि विलायक निष्कर्षण के जरिए उत्पादित किया जाता है तो इसे मानव खपत के लिए आपूर्ति करने से पूर्व परिष्कृत किया जाएगा और यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम 2011 के अंतर्गत बनाए गए यथावर्णित मानकों के अनुरूप होगा तथा हेक्सेन सीमा 5 पीपीएम से अधिक नहीं होगी।

3. श्रेणी अभिधान चिह्न के लिए मापदंड:

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा							
	नमी एवं अघुलनशील अशुद्धियों का वजन के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	एलियल आइसोथियोसाइनेट के रूप में प्राकृतिक आवश्यक तेल का प्रतिशत (न्यूनतम)	40 डिग्री सेल्सियस पर अपवर्तक सूचकांक	वजन के अनुसार असाबुनिकरण पदार्थ का प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल मान (अधिकतम)	आयोडिन मान (विज विधि)	साबुनीकरण मान	विशिष्ट गुरुत्व 30 डिग्री सेल्सियस /30 डिग्री सेल्सियस पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
परिष्कृत	0.10	-	1.4646 से 1.4662	1.2	0.6	96-112	168-177	0.907 से 0.910
श्रेणी -1	0.25	0.20			2.0			
श्रेणी –II	0.25	0.10			4.0			

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
कलर लोविबॉन्ड स्केल* ¼" सेल में Y+5R के रूप में व्यक्त (इससे गहरा नहीं)	बेलीर्स टर्बिडिटी तापमान एवर एसिटिक अम्ल विधि (डिग्री सेल्सियस)	ओरिजनॉल विद्यमानता परीक्षण	अर्जिमोन तेल की विद्यमानता का परीक्षण	हाइड्रोसायनिक अम्ल की विद्यमानता का परीक्षण	पॉलीब्रोमाइड परीक्षण	खनिज तेल की विद्यमानता का परीक्षण
15	23.0-27.5	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव
50	23.0-27.5	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव
50	23.0-27.5	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव	नेगेटिव
नोट : श्रेणी –I और श्रेणी –II कच्चे एवं फ़िल्टर किए गए सरसों तेल के लिए।						

4. **विशेष शर्त**: यदि सरसों तेल में प्राकृतिक एलियल आइसोथियोसाइनेट की मात्रा वजन के अनुसार 0.20 % से कम नहीं हो तो तेल को कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस्ड घोषित किया जा सकता है।

[फा. सं. क्यू -11047/01/सरसों तेल/2023–मानक]

डॉ. एन. विजया लक्ष्मी, संयुक्त सचिव (विपणन)

नोट:- (1) मूल नियमों को एस.ओ.संख्या 1719 के रूप में दिनांक 13 अगस्त 1955 को भारत के राजपत्र में भाग –II, खंड -3 में प्रकाशित किया गया था।

(2) पहला संशोधन एस.ओ. संख्या 409, दिनांक 25 जनवरी 1964 के रूप में भारत के राजपत्र में भाग–II, खंड-3 (ii) में दिनांक 1 फरवरी 1964 को प्रकाशित किया गया था।

(3) दूसरा संशोधन एस.ओ. संख्या 2472, दिनांक 6 अगस्त 1966 के रूप में भारत के राजपत्र में भाग–II, खंड -3 (ii) में दिनांक 20 अगस्त 1966 को प्रकाशित किया गया था।

(4) तीसरा संशोधन एस.ओ. संख्या 2792, दिनांक 9 अगस्त 1967 के रूप में भारत के राजपत्र में भाग–II, खंड-3 (ii) में दिनांक 19 अगस्त 1967 को प्रकाशित किया गया था।

(5) चतुर्थ संशोधन एस.ओ. संख्या 1283, दिनांक 15 मार्च 1982 के रूप में भारत के राजपत्र में भाग-II, खंड-3(ii) में दिनांक 27 मार्च 1982 को प्रकाशित किया गया था।

(6) पांचवां संशोधन एस.ओ.संख्या 2987, दिनांक 13 अगस्त 1982 के रूप में भारत के राजपत्र में भाग –II, खंड-3(ii) में दिनांक 28 अगस्त 1982 को प्रकाशित किया गया था।

(7) छठा संशोधन सा. का. नि. 289, दिनांक 4 अप्रैल 1990 भारत के राजपत्र में भाग-II, खंड-3 (i) में दिनांक 12 मार्च 1990 को प्रकाशित किया गया था जिसे पृष्ठ 1003 से 1007 पर दर्शाया गया ।

(8) सातवां संशोधन सा.का.नि.24(अ) दिनांक 1 जनवरी 1993 भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 18 जनवरी 1993 को प्रकाशित किया गया था जिसे पृष्ठ 1003-1007 पर दर्शाया गया।

(9) आठवां संशोधन सा.का.नि.383(अ), दिनांक 3 जून 2009 भारत के असाधारण राजपत्र में भाग–II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 जून 2009 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2023

G.S.R. 192(E).—The following draft of the Vegetable Oils Grading and Marking (amendment) Rules, 2023, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) as amended upto 1986, to amend the principal rule of Vegetable oils Grading and Marking Rules, 1955 and Vegetable oils Grading and Marking (amendment) Rules 2009 are hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

2. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

3. Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified above, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001, who shall forward the same to the Central Government for consideration.

Draft Rules

1. **Short title, application and commencement. -** (1) These rules shall be called the Vegetable Oils Grading and Marking (amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. For Rule 10 following shall be substituted.-

"10 (A) Vegetable Oils for domestic trade, shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

10 (B) Vegetable Oils for export trade, shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export."

3. After Rule 11 following shall be inserted.-

"12. Vegetable Oils may be fortified with the micronutrients Vitamin A and Vitamin D at the level of nutrients prescribed in Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.

13. Vegetable Oils may contain permitted anti-oxidants, food additives, in the concentration as specified under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives), Regulations 2011.

14. The vegetable oils covered under these rules shall comply with the fatty acid composition of the oils as per Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives), Regulations 2011.

4. In Principal Rule the Schedule I of Mustard Oil, shall be replaced with the following.-

"Grade designation and Quality of Mustard Oil

1. Mustard Oil shall be obtained by a process of expression of clean and sound mustard seed of *Brassica campestris Linn* (yellow and Brown sarson) or *Brassica junecea Linn* (Lahi, Rai or laha) or *Brassica napus* (rapeseed or toria) or admixture of these seeds. The oil obtained by expelled pressed method shall be free from solvent extracted oils and hexane residues.

2. Minimum Requirement: (1) Mustard Oil shall ,-

   (a) have characteristic and acceptable taste and flavor;

   (b) be clear and free from turbidity when a filtered sample of oil is kept for 24 hours at 30°C ;

   (c) be free from rancidity, obnoxious smell, suspended or insoluble matter or any other foreign matter,

   (d) be free from separated water, sedimentations, added colouring matter and any other flavouring substances ;

   (e) be free from synthetic oil.

   (2). Mustard oil, if produced by solvent extraction shall be refined before it is supplied for human consumption and shall conform to the standards as laid down or made under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and Hexane should be not more than 5 ppm.

3. Criteria for Grade Designation Mark

Grade Designation	Limit of Tolerance								
	Moisture and insoluble impurities percent by wt. (not more than)	Percentage of Natural Essential Oil Content as allyl isothiocynate (Minimum)	Refractive Index at 40°C	Unsaponifiable matter percent by weight (Not more than)	Acid Value (not more than)	Iodine Value (Wij's method)	Saponification Value	Specific gravity at 30°C/30°C	Colour Lovibond scale* in ¼" cell expressed as Y+5R (not deeper than)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Refined	0.10	-	1.4646 to 1.4662	1.2	0.6	96-112	168-177	0.907 to 0.910	15
Grade - I	0.25	0.20			2.0				50
Grade-II	0.25	0.10			4.0				50

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belliers Turbidity Temperature Ever's acetic acid Method °C	Test for Presence of Oryzanol	Test for Presence of Argemone Oil	Test for Presence of Hydrocynaic Acid	Polybromide Test	Test for Presence of Mineral Oil
23.0-27.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
23.0-27.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
23.0-27.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
Note: Grade - I and Grade- II are for Raw and filtered Mustard Oil.					

4. **Special Condition. -** The Mustard Oil may be declared as Kachi Ghani or cold pressed, as the case may be, if the content of natural allyl isothiocynate in the oil is not less than 0.20% by weight.

[F. No. Q-11047/01/Mustard Oil/2023-Std]

Dr. N. VIJAYA LAKSHMI, Jt. Secy. (Marketing)

Note.- (1) The Principal rules were published as S.O. 1719, dated 13th August 1955, in the Gazette of India Part-II, Section-3.

(2) First amendment was published as S.O. 409, dated 25th January 1964, in the Gazette of India Part-II, Section-3(ii) dated 1st February 1964.

(3) Second Amendment was published as S.O. 2472, dated 6th August 1966, in the Gazette of India Part-II, Section-3(ii) dated 20th August 1966.

(4) Third Amendment was published as S.O. 2792, dated 9th August 1967, in the Gazette of India Part-II, Section-3(ii) dated 19th August 1967.

(5) Fourth Amendment was published as S.O. 1283, dated 15th March 1982, in the Gazette of India Part-II, Section-3(ii) dated 27th March 1982.

(6) Fifth Amendment was published as S.O. 2987, dated 13th August 1982, in the Gazette of India Part-II, Section-3(ii) dated 28th August 1982.

(7) Sixth Amendment was published vide GSR 289, dated 4th April 1990 appeared on pages 1003-1007 in the Gazette of India Part-II, Section-3(i) dated 12th March 1990.

(8) Seventh Amendment was published vide GSR 24(E), dated 1st January 1993 appeared on pages 1003-1007 in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-Section (i) dated 18th January 1993.

(9) Eighth Amendment was published vide GSR 383(E), dated 3rd June 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (i) dated 3rd June 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.15 22:25:32 +05'30'